

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक-.....20.. / 6.5.. / 2025.

**** अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।**

द्वारा :- **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 130.00 लाख (रुपये एक करोड़ तीस लाख) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड, पटना अन्तर्गत 100 बल्क मिल्क कूलरों में डाटा लॉगर की स्थापना की योजना की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 130.00 लाख (रुपये एक करोड़ तीस लाख) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड, पटना अन्तर्गत 100 बल्क मिल्क कूलरों में डाटा लॉगर की स्थापना की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 100 बल्क मिल्क कूलरों में डाटा लॉगर स्थापित किया जाना है। योजना की कुल लागत प्रति इकाई ₹ 1.30 लाख की दर से ₹ 130.00 लाख अनुमानित है।
3. प्रस्तावित योजना का मुख्य उद्देश्य बल्क मिल्क कूलरों में डाटा लॉगर सिस्टम स्थापित करने से दुग्ध की गुणवत्ता, तापमान निगरानी एवं संग्रहण ट्रैकिंग को स्वचालित एवं विश्वसनीय बनाये रखने में मदद मिलती है। Data Logger के माध्यम से दूध के तापमान को निर्धारित स्तर (4°C या उससे कम) पर बनाये रखना सुनिश्चित किया जा सकेगा। तापमान का सटीक रिकार्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा, जिससे पारदर्शिता और साक्ष्य-आधारित गुणवत्ता नियंत्रण संभव होगा। सभी बी०एम०सी० इकाईयों से डाटा एकत्र कर एक केन्द्रीयकृत डैशबोर्ड पर निगरानी की जा सकेगी, जिससे खराबियों का त्वरित पता लगाया जा सके। मैनुअल तापमान दर्ज करने की आवश्यकता समाप्त होगी, जिससे त्रुटियों और लापरवाही की संभावना कम होगी। खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत दूध के तापमान को बनाये रखने की आवश्यकता होती है, जो इस तकनीक से सुनिश्चित किया

जा सकेगा। यह प्रणाली IOT आधारित स्मार्ट मिल्क कलेक्शन नेटवर्क का आधार बनेगी, जिससे आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शिता और नियंत्रण बेहतर होगा।

4. योजना का क्रियान्वयन कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जायेगा।
5. बजट शीर्ष और बजट की उपलब्धता— मुख्य शीर्ष—2404 —डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—789 —अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या—02, उप शीर्ष—0101 —ग्रामीण डेयरी रोजगार योजनाएँ, विपत्र कोड 02—2404007890101, विषय शीर्ष—0101.31.05 —सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से विकलनीय होगा।
6. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प—573, दिनांक—16.01.1975 एवं एम०—04—15/2009—9736 वि०—2, दिनांक—19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।
7. दिनांक—08.05.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका—6 एस०एस० (6)30/2025 के पृष्ठ 07—06/प०.
8. चूँकि यह योजना राज्य योजना के तहत एक नई योजना है। योजना का लागत मूल्य रुपये 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प—12888, दिनांक—03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०—6 एस०एस० (6)30/2025 के पृष्ठ—07/टि० दिनांक—15.05.2025.
9. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०—6 एस०एस०(6)30/2025 के पृष्ठ—06/टि० तथा डायरी सं०—235, दिनांक—15.05.2025.
10. वित्त विभागीय पत्र संख्या—7355 दिनांक—05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(गीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:—6 एस०एस०(6)30/2025—22०५ /पटना—15, दिनांक—...2०./..१५../2025.

प्रतिलिपि:—अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)30/2025-2204/पटना-15, दिनांक-20/05/2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)30/2025-2204/पटना-15, दिनांक-20/05/2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना/निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)30/2025-2204/पटना-15, दिनांक-20/05/2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)30/2025-2204/पटना-15, दिनांक-20/05/2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा-06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)30/2025-2204/पटना-15, दिनांक-20/05/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)30/2025-2204/पटना-15, दिनांक-20/05/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी

राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 130.00 लाख (रुपये एक करोड़ तीस लाख) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्पेड, पटना अन्तर्गत 100 बल्क मिल्क कूलरों में डाटा लॉगर की स्थापना की योजना की स्वीकृति हेतु व्यय विवरणी :-

(राशि लाख में)

विषय शीर्ष	योजना का विवरण	कुल अनुमानित लागत	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
विपत्र कोड 02-2404007890101, विषय शीर्ष-0101.31.05 —सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद	कॉम्पेड, पटना अन्तर्गत 100 बल्क मिल्क कूलरों में डाटा लॉगर की स्थापना	130.00	निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना / प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।

(रुपये एक करोड़ तीस लाख) मात्र

2209
26/08 25

सरकार के अपर सचिव

